भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBA No. 21/2020

No. 2015/AC-II/2/6

Dated:- 26.02.2010

Director (Finance), CRIS, New Delhi

Sub:- Accountal of deposits & expenditure under allocation EBR.

Instructions have been issued vide letter Nos. 2015/AC-II/2/6 dated 28.10.2015 (RBA 69/2015) and 25.01.2016 (RBA No. 07/2016) for accountal of funds under allocation EBR (IF) sanctioned projects and expenditure met therefrom. Further, the Allocation for receipts of deposits and booking of expenditure/credit adjustment in IPAS for EBR IF funded works and EBR IRFC (Bulk Order) have been advised vide this office letter of even number dated 31.08.2018.

Now that the Zonal Railway have also received funds under the Source EBR (P) for various Plan Heads and bookings are also made under these heads, references have been received from Railways for separate allocation heads to capture receipts and expenditure under EBR.

The matter has been examined and it has been decided to revise the allocation for items funded through EBR under IPAS as under:-

TOTAL TURGET		1'.	Expenditure		Credits/Deposits	
Source	Expenditure		Recoveries/Credits			to be booked
					under	
	Cuinting	Proposed	Existing	Proposed	Existing	Proposed
	Existing	82XXXX-XX		82XXXX-XX		00844580
EBR-(P)			84XXXX-XX	83XXXX-XX	00844582	00844582
EBR-(IF)	84XXXX-XX	83XXXX-XX	848888-88	65XXXX-XX	00011332	(No change)
			040177 77	84XXXX-XX	00844528	00844528
EBR-IRFC	8421XX-XX	84XXXX-XX	8421XX-XX	84XXX-701	00011020	(No change)
(BO)						

Further, Schedule 2(ii) of Capital Schedule may also be revised by incorporating the sub-schedule for EBR (IRFC), EBR (IF) and EBR (PPP) as 2(ii), 2(iii) and 2(iv) respectively.

Kindly take necessary action accordingly.

(Sanjeev Sharma)
Director Finance (Accounts)
Railway Board

Copy to: PFAs, all Indian Railways and Production Units etc.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 21/2020

सं.2015/एसी-11/2/6

दिनांक:- 26.02.2020

निदेशक (वित्त), क्रिस, नई दिल्ली

विषय:- बजटेत्तर संसाधन आबंटन के अंतर्गत जमा एवं व्यय का लेखा-जोखा रखना।

बजटेत्तर संसाधन (आईएफ) आबंटन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और उन पर किए गए व्यय की निधि का लेखा-जोखा रखने के लिए बोर्ड के दिनांक 28.10.2015 के पत्र सं.2015/एसी-।।/2/6 (आरबीए सं.69/2015) और 25.01.2016 के (आरबीए सं.07/20216) के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, जमा प्राप्तियों के लिए आबंटन और बजटेत्तर संसाधन आईएफ वित्तपोषित निर्माण कार्यों तथा बजटेत्तर संसाधन आई.आर.एफ.सी. (थोक आदेश) के लिए आई.पी.ए.एस. में व्यय/जमा समायोजन की बुकिंग को इस कार्यालय के दिनांक 31.08.2018 के समसंख्यक पत्र के तहत सूचित किया गया है।

अब क्षेत्रीय रेलें विभिन्न योजना शीर्षों के लिए बजटेत्तर संसाधन (पी) स्रोतों के अंतर्गत निधि भी प्राप्त कर रही हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत बुकिंग भी की जा रही हैं इसलिए, बजटेत्तर संसाधन के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए अलग आबंटन शीर्ष के बारे में रेलों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

इस मामले की जांच की गई है और आई.पी.ए.एस. के अंतर्गत ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित मदों के लिए आंबंटन में निम्नानुसर संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है:-

स्रोत	· व्यय		व्यय वसूली/जमा		जमा/जमा प्राप्तियां जिन्हें	
			=		निम्नानुसार बुक किया जाना है	
	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित
ईबीआर-(पी)		82XXXX-XX		82XXXX-XX		00844580
ईबीआर-(आईएफ)	84XXXX-XX	83XXXX-XX	84XXXX-XX	83XXXX-XX	00844582	00844582
				** I		(अपरिवर्तित)
ईबीआर-आईआरएफसी	8421XX-XX	84XXXX-XX	8421XX-XX	84XXXX-XX	00844528	00844528
(बीओ)						(अपरिवर्तित)

इसके अलावा, ईबीआर (आईआरएफसी), ईबीआर (आईएफ) और ईबीआर (पीपीपी) के लिए क्रमश: 2(ii), 2(iii) और 2(iv) के रूप में उप-अनुसूचियों को शामिल करके पूंजी अनुसूची की अनुसूची 2(ii) को भी संशोधित किया जाए।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3:

(संजीव शर्मा) | निदेशक वित्त (लेखा) | रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।

EBR